पत्र संख्या–विधि– /2018–19/ 1669 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(विधि–अनुभाग)/II अनुभाग

लखनऊ:: दिनांक:: मार्च, 8 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पर जोनल प्रोफाइल के अन्तर्गत विभिन्न जोनों द्वारा फीड किये गये डाटा का विश्लेषण, करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैं:–

1– जोन को 5 संवेदनशील वस्तुएं अथवा सेवाओं के अन्तर्गत अलीगढ़, इटावा, कानपुर प्रथम, कानपुर द्वितीय, प्रयागराज, सहारनपुर जोन द्वारा कोई डाटा फीड नहीं किया गया है।

2– जोन में संचालित मुख्य परिवहनकर्ता के विवरण में अलीगढ़, इटावा, कानपुर प्रथम, लखनऊ प्रथम, लखनऊ द्वितीय, प्रयागराज तथा सहारनपुर द्वारा कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है।

3– जोन के संग्रह के 5 प्रमुख स्रोतों के विवरण में अलीगढ़, इटावा, गाजियाबाद प्रथम, कानपुर प्रथम, कानपुर द्वितीय, लखनऊ प्रथम, लखनऊ द्वितीय, प्रयागराज तथा सहारनपुर द्वारा कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है।

4– उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि जो डाटा विवरण पत्रों में अंकित किया जा रहा है, उसमें कई जगहों पर, शून्य तथा गलत ई–मेल आई0डी0 भी अंकित किये गये हैं। उदाहरणस्वरूप आगरा जोन द्वारा जोन में संचालित मुख्य परिवहनकर्ता में स्वामी/साक्षीदार का नाम, स्वामी/साक्षीदार का मो0 नम्बर, ट्रांसपोर्ट कम्पनी की ई–मेल आई0डी0, जोन में ट्रांसपोर्ट कम्पनी के प्रतिनिधि का नाम, जोन में ट्रांसपोर्ट कम्पनी के प्रतिनिधि का मो0 नम्बर में त्रुटिपूर्ण डाटा अंकित किया गया है।

अतः उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.03.2019 तक प्रत्येक दशा में सभी जोन, जोनल प्रोफाइल के विवरण पत्रों में डाटा फीड करना सुनिश्चित करेंगें। डाटा की शुद्धता एवं गुणवत्ता पर जोनल एडीशनल कमिश्नर का विशेष ध्यान अपेक्षित है।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।